तारीख हुक्म	
	प्रार्थी / कोई उपस्थित नहीं हुआ। [illegible] लगा. 11 के विरुद्ध [illegible] तामील जारी हो [illegible] दि. 11/11/2025 को पेश हो। [illegible]
11/11/25	वकील प्रार्थी उप0। प्रा0 बाबत [illegible] दि. 8/12/25 [illegible] सरकार [illegible] बहस को पेश हो। [illegible]
8/12/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राज. कार्यवश बाहर दौरे में [illegible] हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] हैं। अब अग्रिम सांविक कार्यवाही हेतु दिनांक 20/1/26 को पेश हो [illegible]
20/1/26	पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रस्तुतकर्ता अधिकारी राज. कार्यवश बाहर दौरे में [illegible] हैं। अन्य कार्य में व्यस्त है। [illegible] हैं। अब अग्रिम सांविक कार्यवाही हेतु दिनांक 6/2/26 को पेश हो [illegible]
6/2/26	[illegible] पेश हुई [illegible] अधिकारी राज. कार्यवश बाहर दौरे में [illegible] कार्य में व्यस्त है। [illegible] अग्रिम सांविक कार्यवाही हेतु दिनांक 12/3/26 को पेश हो [illegible]
12/3/26	वकील प्रार्थी उप0। बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कृषि भूमि खाता सं0 नया 40 पुराना 41 वाके ग्राम डोरा पटवार मण्डल डोरा तह0 तालेडा, जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है में से कुछ भू-भाग पर अप्रार्थीजण जबरन कब्जा कर सरकारी भूमि ख0सं0 360 पर बने रास्ते से नही गुजर कर प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की कृषि भूमि ख.सं. 358 मे रास्ता निकालने पर आमादा है। प्रार्थी कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करता है प्रार्थी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई आय का साधन नही है। उसके बावजूद भी अप्रार्थी सं0 1 लगायत 11 लगातार प्रार्थी की कृषि भूमि पर रास्ता निकालने पर आमादा हो रहे है एवं मौके पर पटवारी को ले जाकर रास्ता दिखा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रहे है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 11 ने प्रार्थी की कृषि भूमि का कोट बनाकर उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश की तो प्रार्थी के मना करने पर प्रार्थी को मारने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी से बोला की हम तो आपकी खसरा सं. 358 वाली भूमि में से ही रास्ता लेकर दम लेंगे । अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खाता सं0 नया 40 पुराना 41 वाके ग्राम डोरा पटवार मण्डल डोरा तह0 तालेडा बाबत अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी की कृषि भूमि खाता सं0 नया 40 पुराना 41 वाके ग्राम डोरा पटवार मण्डल डोरा तह0 तालेडा के ख.सं. 358 के पश्चिमी दिशा पर जबरन रास्ता नही निकाले, प्रार्थी को कृषि कार्य करने से नही रोके, प्रार्थी को बेदखल नही करे, भौतिक स्थिति में परिवर्तन नही करे उक्त कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य से करावें।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थी वाद वर्णित आराजी पर 1/4 हिस्से का खातेदार है किन्तु प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के अतिरिक्त ऐसा कोई साक्ष्य रास्ता बाबत पेश नही किया गया जो यह प्रमाणित करे कि रास्ता किस जगह बना हुआ है एवं कब से ऐसी स्थिति में एकपक्षीय अस्पष्ट तथ्यो के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।